

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

प्रादेशीय अतिक्रमण विभाग, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 108/2017

अपीलान्त

संबंधित

देवराज बजाज जाली

निवासी बाला तहसील पाली

रिप्लाइन्ट :-

सरकार जलिये मंत्रिमंडली तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री कमलेश चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलान्त

सरकारी प्रोकर, रिप्लाइन्ट की ओर से 390

:- निर्णय :-

दिनांक:- 7/12/17

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76

राज स् राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 324/2016 में तहसीलदार पाली धारा

पारित आदेश दिनांक 25.10.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली धारा राजस्व अपील

संख्या 55/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज

रजिस्टर कर रीफाईन्ड की जलिये समन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब

किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों का

दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का बाला की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार पाली

धारा अपीलान्त के विरुद्ध राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण

दर्ज कर ग्राम बाला के खसरा नम्बर 250 रकबा 10 बीघा किस बाराजी सोयम की मूस पर

अपीलान्त का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया, किन्तु कोई

नोटिस जारी नहीं किया। केंद्र के दिवस अपीलान्त से समस्त कगजों पर हस्ताक्षर एवं अंगूठ

निधान करवाये गये। न तो अपीलान्त को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया तथा न ही

अपना पक्ष प्रस्तुत करने का। पटवारी हल्का ने अपने बयानों में जिन दस्तावेजों का उल्लेख

किया, उन्हें प्रदर्शित भी नहीं किया, जिसके कारण उक्त बयानों को साक्ष्य के रूप में पठा नहीं

जा सकता है। अपीलान्त का उक्त मूस पर पेशवातवर्ती अतिक्रमण मानने का कोई साक्ष्य

पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय धारा जै अपील आदेश के

जलिये अपीलान्त को बिना सुनवाई का अवसर दिये जमाना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली

पारित किया, साथ ही पेशवातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्त को तीन माह के सिविल

कारावास के दण्ड से दण्डित किया। आदेश अतिक्रमण जाली का गरीब व्यक्ति है तथा प्रकरण में राज्य सरकार की

सहा अनुसर नियमितकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी, जो न की जाकर अधिनस्थ

न्यायालय धारा बिना कोई साक्ष्यों का परीक्षण किये जै अपील आदेश के जलिये अपीलान्त पर

जमाना आरोपित करते हुए आदेश बेदखली एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया

है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करवाये एवं जै अपील आदेश अपास्त करवाये।

सरकारी प्रोकर ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बाला के खसरा नम्बर

250 रकबा 10 बीघा किस बाराजी सोयम की मूस राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त मूस पर

अपीलान्त धारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलान्त के विरुद्ध राजस्व अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली





राज्य निर्वाचन आयोग
राज्य निर्वाचन आयोग, पाली
(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)

10

कर खर्च न्यायालय में सूनाया गया।
निर्णय आज दिनांक 11/12/17

11/12/17

अधिनियम स्वरूप अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत अधील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 324/2016 में तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अधील संख्या 55/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनियम न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बंदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अधीनस्थ द्वारा किया गया अतिक्रमण पर्याप्त नहीं है अतिक्रमण की श्रेणी में परिगणित होने के कारण अधिनियम न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनियम न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए और अधील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अधीनस्थ की अधील खारिज करावे।
उभयपक्ष अभिभावकता की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ द्वारा अधील को अन्दर म्याद शुरू करने हेतु परिशीला अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अधीनस्थ के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात् अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिशीला अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अधील अन्दर म्याद शुरू की जाती है। और अधील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम बाला के खसरा नम्बर 250 रकबा 10 बीघा किस्म बरानी सोयम की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का बाला द्वारा तहसीलदार पाली के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि देदारम पत्र जगाराम द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर कांस्ट किया है, इस पर तहसीलदार पाली द्वारा राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 25.10.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह स्वयं अधीनस्थ से तामील करवाया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए और अधील आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट दिनांक 20.12.2015 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें अंकित तथ्यों अनुसार इस दिनांक को प्रकरण में वादस्थ भूमि से अतिक्रमण देदारम का कब्जा हटया जाकर भूमि को कब्जे राज लिया गया है। उक्त कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट पर अधीनस्थ तथा गवाह के हस्तक्षर हैं, जिसे किसी भी रूप में नकारा नहीं है। उहां तक आवंटन/नियमन का प्रश्न है, जो इस हेतु नियमों में पृथक से प्राधान्य उपलब्ध है, किन्तु अधीनस्थ द्वारा अधिनियम न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधिनियम न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है तथा न ही इस अधील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायविरत नहीं है।